मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक:एफ–11–01/2013/1/4 भोपाल,दिनांक 03/04/2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश ।

विषय:– भारतीय झण्डा संहिता 2002, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में अंतर्विष्ट उपबन्धों का कड़ाई से अनुपालन –के संबंध में ।

विषयान्तर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देश क्रमांक 15/2/2018–पब्लिक दिनांक 09 जनवरी, 2018 की प्रति पत्र के साथ संलग्न है ।

आदेशानुसार निवेदन है कि उक्त निर्देश के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम संचालित करें एवं निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न: यथोपरि

(संजय कुमार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क्र0:एफ–11–01/2013/1/4 भोपाल,दिनांक 03/4/2018

प्रतिलिपि:

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव,राजभवन भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय भोपाल ,
4. प्रमुख सचिव (समन्वय)मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल
5. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
6. सचिव, लोकायुक्त कार्यालय म0प्र0 भोपाल,

11 APR 2018

7. सचिव, राज्य निर्वाचन/अल्पसंख्यक/मानव अधिकार /राज्य सूचना आयोग भोपाल,
8. सचिव, म0प्र0लोक सेवा आयोग, इन्दौर ,
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,मध्यप्रदेश भोपाल
10. निज सचिव/निज सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन,
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म0प्र0 जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर,
12. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0 भोपाल,
13. महालेखाकार ,म0प्र0 भोपाल/ग्वालियर,
14. रीजनल मैनेजर, रिजर्व बैंक आफ इंडिया,प्रधान कार्यालय भोपाल,
15. स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी एंव दूरदर्शन केन्द्र भोपाल,
16. आयुक्त,जनसम्पर्क, भोपाल.
17. उप संचालक,(प्रेस प्रकोष्ठ) जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

तत्काल

संख्या 15/1/2018–पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पब्लिक अनुभाग

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली –1

दिनांक 09 जनवरी, 2018

सेवा में,

सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव/
सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक,
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।

विषय : भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में अंतर्विष्ट उपबंधों का कड़ाई से अनुपालन – के संबंध में।

\- - -

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के लोगों की आशाओं एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे सम्मान की स्थिति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक सार्वभौमिक लगाव और आदर तथा वफादारी होती है। तथापि, राष्ट्रीय झंडे के संप्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों, अभ्यास तथा परंपराओं के संबंध में जनता के साथ–साथ भारत सरकार के संगठनों/एजेंसियों में भी जागरूकता का अभाव देखा गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 जो राष्ट्रीय ध्वज के संप्रदर्शन को नियंत्रित करते हैं, में से प्रत्येक की एक प्रति, उक्त अधिनियम तथा झंडा संहिता में अंतर्विष्ट उपबंधों के कड़ाई से अनुपालन के लिए इसके साथ संलग्न की जाती है (राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है) । आपसे यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में वृहद जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के माध्यम से वृहद प्रचार किया जाए।

2\. इसके अलावा इस मंत्रालय के संज्ञान में यह लाया गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर कागज के झंडों के स्थान पर प्लास्टिक के झंडों का प्रयोग भी किया जा रहा है। चूंकि, प्लास्टिक से बने झंडे कागज के समान जैविक रूप से अपघट्य (bio-degradable) नहीं होते हैं, ये लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं और प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का सम्मानपूर्वक उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यवहारिक समस्या है। अतः, आपसे यह सुनिश्चित करने का अनुरोध है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और खेलकूद के अवसरों पर भारतीय झंडा संहिता, 2002 के प्रावधान के अनुरूप,

जनता द्वारा केवल कागज से बने झंडों का ही प्रयोग किया जाए, तथा समारोह के पूरा होने के पश्चात ऐसे कागज के झंडों को न क्षत-विक्षत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाय। ऐसे झंडों का निपटान उनकी गरिमा के अनुरूप एकान्त में किया जाय। आपसे यह भी अनुरोध है कि प्लास्टिक से बने झंडे का उपयोग न करने संबंधी व्यापक प्रचार इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया में विज्ञापन के साथ किया जाए।

भवदीय,

संलग्नक. -यथोपरि

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23094376

प्रति प्रेषित -:

1. राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. उप-राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. सभी राज्यपालों के कार्यालय।
6. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
8. राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
9. रजिस्ट्रार, भारत का उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
10. सभी उच्च न्यायालय।
11. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली।
12. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
13. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली।
14. नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
15. गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
16. 20 अतिरिक्त प्रतियां।

वी.के. राजन
(वी.के. राजन)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23094376

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/समन्वय/2018/ 75

भोपाल, दिनांक 27-4-2018

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक आर.एम.एस.ए मध्यप्रदेश।
4. वरिष्ठ निज सहायक,संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक/सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
8. समस्त अधीक्षक/सहायक अधीक्षक लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल (स्थानीय) मध्यप्रदेश।

27/04/18
उप संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश